उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि अनुभाग – 2
संख्या/7196/12–2–2006 –एस–2/84

लखनऊ : दिनांक 2 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा – 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा – 3 के अधीन बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या – 2759/12.2.95–एस–2/84 दिनांक 21 जून, 1995 का अधिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं और उनकी अधिकारिता को जैसा कि प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में उल्लिखित है, परिभाषित करते हैं। राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि ये सभी निरीक्षक निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

क्र.सं.	पदधारी का नाम	मुख्यालय	अधिकारिता का स्थानीय क्षेत्र
1	2	3	4
1.	संयुक्त कृषि निदेशक	संभागीय मुख्यालय	राजस्व संभाग के सभी जिले
2.	प्रक्षेत्र प्रबन्ध अधिकारी	संभागीय मुख्यालय	राजस्व संभाग के सभी जिले
3.	उप कृषि निदेशक	जिला मुख्यालय	संबंधित जिला
4.	जिला कृषि अधिकारी	संभागीय मुख्यालय	संबंधित जिला
5.	उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी	तहसील मुख्यालय	संबंधित तहसील
6.	अपर जिला कृषि अधिकारी	जिला मुख्यालय	संबंधित जिला
7.	विषय वस्तु विशेषज्ञ समूह–1	तहसील मुख्यालय	संबंधित तहसील

आज्ञा से

ह.

जे. एस. मिश्र

प्रमुख सचिव

संख्या – 7196 [1]/12-2-2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. बीज विकास निगम, लखनऊ।
7. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र., लखनऊ को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

ह.

आर. एन. राम

विशेष सचिव